

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक0प्र0क0-580 / 14

संस्था0दि0 04 / 09 / 14

फाईलनं.233504003062014

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

:- विरुद्ध :-

मुकेश पिता शंकरराव, उम्र 31 वर्ष,
जाति कुन्बी, पेशा-मजदूरी, नि0ग्राम हसलपुर,
थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

----- **अभियुक्त**

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 25 / 11 / 2016 को घोषित)

1- अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के तहत अभियोग है कि दिनांक 24.04.12 से आज तक ग्राम हसलपुर थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 में फरियादी सविता बोडखे, जो कि आप अभियुक्त मुकेश की पत्नी है, उसके साथ कुरता की, आपने फरियादी के माता पिता से मोटर सायकिल प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज मांगने के लिए शास्ति कर दुषे्रित किया।

2- प्रकरण में दिनांक 19/08/16 को अभियुक्त और फरियादी सविता के बीच राजीनामा होने से आपसी राजीनामा आवेदन पत्र पेश किया गया। प्रकरण राजीनामा योग्य न होने से राजीनामा आवेदन पत्र निरस्त किया गया।

3- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम नाहिया रहती है। उसकी शादी जातीय रिति रिवाज से मुकेश बोडखे निवासी ग्राम हसलपुर से दिनांक 24/04/2012 को हुई थी। शादी के बाद से ही उसके पति दहेज में मोटर साईकिल लाने की बात को लेकर उससे आये दिन लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। उसके माता पिता ने उसे उसकी शादी में उसकी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। परन्तु उसके माता पिता द्वारा दिये गये दहेज के सामान से सन्तुष्ट न होकर उसके पति मुकेश दहेज में मोटर साईकिल लाने की मांग लगातार दो वर्षों से कर रहा है। परिवार परामर्श केन्द्र के माध्यम से एवं गांव के पुराने सरपंच उसके जीजा सुखदेव एवं उसके पति को समझाने का प्रयास किया, किन्तु उसके पति द्वारा हमेशा ही उससे दहेज में मोटर साईकिल लाने की बात को लेकर एवं झूठे आरोप लगाकर कई बार शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। यह सब बातें एवं परेशानी उसने उसकी माँ भाई एवं भाभी को भी बताया है।

4- फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई जो प्र0पी0 1 है। जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 611/14 भा.द.सं धारा-498 "ए" एवं

दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा- 3, 4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 18/08/14 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 3 तैयार किया गया, साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, अभियुक्त को गिरफ्तार गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

5- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6- : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1-“क्या दिनांक 24.04.12 से आज तक ग्राम हसलपुर थाना आमला जिला बैतूल म०प्र० में फरियादी सविता बोडखे, जो कि आप अभियुक्त मुकेश की पत्नी है, उसके साथ कुरता की?”

2-“ उक्त दिनांक समय स्थान पर आपने फरियादी के माता पिता से मोटर सायकिल प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज मांगने के लिए शास्ति कर दुष्प्रेरित किया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

विचारणीय प्रश्न क० 1, 2 का निराकरण

7- सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण साथ में किया जा रहा है। क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हों।

8- अभियोजन साक्षी सविता (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि शादी के बाद वह उसके ससुराल हसलपुर चली गई थी। जहां घरेलु बातों को लेकर उसका आरोपी से विवाद होता था। आरोपी कुछ कमाता नहीं था और उसके पिता की आय पर निर्भर था इसलिए आरोपी उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। वह आरोपी को बार-बार कमाने का बोला था, लेकिन उसके बाद भी आरोपी कुछ नहीं कमाता था। आरोपी ने उसे प्रताड़ित नहीं किया था। आरोपी ने उससे कभी दहेज की मांग नहीं किया था। उसने दुसरी शादी कर ली है। शासन की ओर इस गवाह को पक्षविरोधी घोषित करने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी उससे दहेज में मोटर साईकिल की मांग करता था और मोटर साईकिल की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 2 का बी से बी भाग एवं पुलिस कथन प्र०पी० 4 का ए से ए भाग लेख कराई थी। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है और उसने नई जगह शादी कर ली है।

9- आगे इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्यपरीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में फरियादी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित करने तथा फरियादी के माता पिता से मोटर सायकिल प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज मांगने के लिए शास्ति कर दुष्प्रेरित किया, वाली बात नहीं बताई है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य के मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा०दं०वि० की धारा 498 “ए” एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा- 4 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

10- अभियोजन साक्षी मंजू (अ.सा.2) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं

प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

11— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता की। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी के माता पिता से मोटर सायकिल से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से दहेज में मोटर साईकिल की मांग कर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1, 2 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

12— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी के माता पिता से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से दहेज में मोटर साईकिल की मांग कर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार अभियुक्त मुकेश को भा०द०वि० की धारा-498 “ए” एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13— अभियुक्त के धारा-313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०स० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

14— प्रकरण में जप्त शुदा सामाग्री शादी का कार्ड एवं दहेज की सूची मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय/आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०